औद्योगिक प्राधिकरणों में अनुपयुक्त भूखण्डों का आवंटन होगा निरस्त

लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2013:

नोएडा एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ऐसे आवंटित औद्योगिक भूखण्ड जिन पर निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के बाद भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं की गई है, उनको आवश्यक नोटिस देकर आवंटन निरस्त किया जाएगा। इन भूखण्डों को ऐसी निवेशकों को आवंटित किया जाएगा जो वास्तव में औद्योगिक इकाई लगाने के इच्छुक होंगे।

यह निर्णय आज प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने इन औद्योगिक विकास प्रधिकरणों में आवंटित किन्तु खाली पड़े औद्योगिक भूखण्डों की समीक्षा करते हुए किया।

प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने कहा– "औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सभी भूखण्डों का सर्वे कराया जाए जिसमें यह देखा जाए कि उद्यमी द्वारा भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन की शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं।"

उन्होंने कहा कि यदि भू–उपयोग के अनुसार औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की गई है या शर्तों के विपरीत उपयोग हो रहा है अथवा निर्धारित समयावधि के समाप्त होने के पश्चात् भी औद्योगिक भूखण्ड खाली पड़ा है तो संबंधित उद्यमी को नियमानुसार नोटिस देकर आवंटन के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया की जाए जिससे वास्तव में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्योगपतियों को औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराये जा सकें।